भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

विज्ञापन संख्या : आरआरकेट- 1/2017

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि : 31.03.2017

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरकेट), इन्दौर में पात्र महिला अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पदनाम	**वैज्ञानिक अधिकारी/सी (सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी) [समूह "ए" राजपत्रित]**
पदों की कुल संख्या	वर्तमान रिक्त पद : 01 + अपेक्षित रिक्त पद : 01 (दोनों पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित)
वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स का लेवल-10 [वेतन बैंड-3 : ` 15600-39100+ ग्रेड वेतन ` 5400 (पूर्व संशोधित)] एवं प्रेक्टिस बंदी भत्ता तथा यथादेय अन्य भत्ते । सामान्य वेतन व भत्तों के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय लाभों को प्राप्त करने की भी पात्रता होगी । ये लाभ परमाणु ऊर्जा विभाग को दिए गए विशेष दर्जे को देखते हुए दिये जाते हैं जिसकी समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है
न्यूनतम योग्यताएं	एम.बी.बी.एस. डिग्री एवं आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् संबद्ध क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव । अनिवार्य इंटर्नशिप को अनुभव नहीं माना जाएगा । संस्थागत अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी
वांछनीय अनुभव	आपात स्थिति में कार्य करने का अनुभव रखने वाले तथा जीडीएमओ / जनरल प्रेक्टिस के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी । कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी
आयु	अन्य पिछड़ा वर्ग : अधिकतम 38 वर्ष (अपिव के लिए आयु में छूट सहित)
चयन प्रक्रिया	चयन वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा
कार्य की प्रकृति	1. सभी आयुवर्ग के रोगियों पर ध्यान देना व सीमित स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना । 2. सामान्य बीमारियों, चिरकालिक रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इस्केमिक हृदय रोग, टीबी, मिर्गी इत्यादि के रोगियों को देखना । 3. चिरकालिक बीमारी के रोगियों को नियमित जांच हेतु बुलाना एवं आवश्यकता होने पर परामर्श हेतु अस्पताल भेजना । 4. चिकित्सा केन्द्र में आपात प्रबंधन तथा स्थिति नियंत्रक के पश्चात आवश्यकता होने पर अस्पताल भेजना । 5. कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करना जिसमें रोग संबंधी नोट, निदान, ऑनलाइन दवा लिखना, सर्विस ऑर्डर बनाना एवं परामर्श हेतु समय देना इत्यादि शामिल है । 6. वेल बेबी क्लिनिक, प्रसव पूर्व क्लिनिक, स्क्रीनिंग कार्यक्रम जैसे रोगनिरोधी क्लिनिक का आयोजन तथा शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सेदारी

केवल मेट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र/ म्यूनिसिपल जन्म प्रमाण पत्र में इंगित जन्म दिनांक को ही स्वीकार किया जाएगा । इस बारे में किसी अन्य विकल्प संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ऊपरी आयु में छूट :

- भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी ।
- दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी ।
- उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी । जो भी व्यक्ति आयु में छूट प्राप्त करने का इच्छुक हैं, वे इनमें से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें : **(अ)** जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूलरूप से या सामान्यत: रहते थे, अथवा **(ब)** कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान पदनामित किया गया हो ।
- 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी । उन्हें इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वे 1984 के दंगों में प्रभावित हुए थे ।
- केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी जिनके पास समान क्षेत्र या सहायक संवर्ग में लगातार 03 वर्ष का कार्यानुभव हो तो उन्हें ऊपरी आयु में 05 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी ।

सामान्य अनुदेश

1. वे अभ्यर्थी, जो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं / अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तो वे पात्र नहीं होंगे, अत: वे कृपया आवेदन न करें।
2. केवल स्क्रीन्ड-इन किए गए आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
3. अपेक्षित रिक्त पद के तहत चयनित अभ्यर्थी को वर्तमान रिक्त पद में भर्ती के लिए दावे का अधिकार नहीं होगा। उनकी नियुक्ति पूर्णरूप से आवश्यकतानुसार एवं चयन सूची की वैधता पर निर्भर होगी।
4. ऐसे आवेदन पत्र जो विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, अथवा अपेक्षित दस्तावेज/ हस्ताक्षर/ फोटो अपलोड नहीं करने पर आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिये चयन न होने की स्थिति में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
5. आवेदकों का साक्षात्कार उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर लिया जाएगा। अत: उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं। अगर किसी मामले में बाद में यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत है या आवेदक इनमें से किसी भी एक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र जारी करने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं माना जाएगा। नियुक्ति सभी पात्रता दशाओं को पूरा करने पर निर्भर होगी।
6. अपिव/नि:शक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार में नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही भरा जाना चाहिए, जो इस विज्ञापन के साथ अपलोड किये गये हैं।
7. अपिव/नि:शक्तता से संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करें एवं इसका प्रमाण निर्दिष्ट प्रपत्र में संलग्न करें। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपिव संबंधी मामले में प्रमाण पत्र पर विशेष तौर से यह उल्लेख होना चाहिए कि वह DoPT OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27.05.2013 में उल्लेखित किसी भी क्रिमीलेयर में नहीं आते हैं।
8. यदि अभ्यर्थी इस पद हेतु अयोग्य पाया जाता है तो आरआरकेट भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में आवेदन को अस्वीकार करने हेतु स्वतंत्र है, इस विषय में किसी भी पत्राचार के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारित करने संबंधी आरआरकेट का निर्णय ही अंतिम होगा।
9. आरआरकेट के पास पद को भरने अथवा पूरी भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी पूर्व सूचना या कोई कारण बताए रद्द/प्रतिबंधित/संशोधित/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद परिवर्तनीय है। विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भरे जाएंगे अन्यथा समय-समय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार न भी भरे जा सकते हैं।
11. इस विज्ञापन के तहत चयनित किए गए अभ्यर्थियों को आरआरकेट, इंदौर में पदस्थापित किए जाने की संभावना है, किन्तु उन्हें भारत के किसी भी स्थान पर एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में सेवाएं देने हेतु तैनात किया जा सकता है।
12. इस विज्ञापन के संदर्भ में बाद में किए गए किसी भी संशोधनों/परिवर्तनों इत्यादि की अधिसूचना केवल आरआरकेट वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका अभ्यर्थी नियमित रूप से अवलोकन कर सकते हैं।
13. चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं एफ.सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर के तहत् अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना जो दिनांक 01.01.2004 से लागू है, के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

(i) केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक कृपया वेबसाइट <http://www.rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html> का अवलोकन करें ।

(iii) अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आई.डी. (**Email I.D.**) एवं मोबाईल नंबर होना चाहिए जो कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय मोड में होना चाहिए । स्क्रिन्डइन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलावा प्रत्र केवल पंजीकृत ई-मेल आई.डी. द्वारा ही भेजे जाएंगे ।

(iv) वेबसाईट पर यूज़र गाईड उपलब्ध है जिसमें आवेदन की प्रकिया एवं जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की विधि का समझाई गई है ।

(v) आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के पहले जरूरी तौर पर यूज़र गाईड पढ़ना चाहिये ।

(vi) ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की असंगति हेतु आरआरकेट उत्तरदायी नहीं होगा । अत: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निदेशों एवं उपयोगकर्ता दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करे ।

(vii) आवेदन प्रपत्र अपलोड/प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थी को सतर्कता बरतनी चाहिए और पद के लिए आवेदन करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए । आवेदन प्रपत्र का कोई भी संबद्ध कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

(viii) आवेदकों के पास आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त अपेक्षित अनुभव/शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए ।

(ix) ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 31.03.2017 तक उपलब्ध रहेगी ।

(x) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक रूप से अपलोड करें :

- **a.** पासपोर्ट आकार का नया रंगीन फोटो
- **b.** हस्ताक्षर
- **c.** आयु संबंधी प्रमाण पत्र (मेट्रिक परीक्षा की अंकसूची/म्युनिसिपल जन्म प्रमाणपत्र)
- **d.** शैक्षणिक योग्यता (डिग्री)
- **e.** अनुभव प्रमाणपत्र
- **f.** निर्धारित प्रपत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (आरआरकेट वेबसाईट पर उपलब्ध है)
- **g.** निर्धारित प्रपत्र में नि:शक्तता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (आरआरकेट वेबसाईट पर उपलब्ध है)
- **h.** 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण (यदि लागू हो) ।
- **i.** दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक कश्मीर प्रभाग के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(xi) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय इत्यादि में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त **''अनापत्ति प्रमाण पत्र''** अपने साक्षात्कार के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा ।

(xii) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेकर रखें जिसे उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।

किसी भी रूप में की गई सिफारिश अयोग्यता माना जाएगा

चयन न किए गए अभ्यर्थियों का रिकार्ड चयन सूची तैयार करने की तिथि से छ: माह के पश्चात सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे

****